न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 53/2011

वादीः– बनाम प्रतिवादीगणः–

1. नत्था 1. कुकाराम

उपस्थितिः–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक वादी
2. श्री जूंझाराम परमार, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण

वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

–ःआदेशः– दिनांक 30·01·2019

1. वकील वादी ने प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत दिनांक 5–11–2015 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी नथा का देहान्त 5 माह पूर्व हो गया था। प्रार्थीगण (दरख्वास्त देहिन्दा) को वाद की कार्यवाही संबन्धी जानकारी नहीं थी। अधिवक्ता द्वारा दरख्वास्त देहिन्दा को सुचित किया तब वाद की कार्यवाही की जानकारी 10 दिन पूर्व हुई आज नथा के उक्त वारिसान बाहर होने से उपस्थित नहीं आ सके परन्तु दरख्वास्त कायम मुकाम वारीसों की ओर से पेश हैं अधिवक्ता को पैरवी की हिदायत भी दी है वारिसान की ओर से वकालतनामा व शपथ पत्र आयंदा पेशी पर पेश किया जायेगा। वारिसान निम्न है– 1/1 छैलाराम पुत्र नथा उम्र 51 वर्ष, 1/2 मूलाराम पुत्र नथा उम्र 48 वर्ष, बंशीलाल पुत्र नथा उम्र 45 वर्ष, 1/4 गीता पुत्री नथा तमाम जातिगण बावरी निवासीगण नया गांव, पाली। प्रार्थीगण (वारिसान) वाद की कार्यवाहियों, म्यादों से अनभिज्ञा है। अनभिज्ञता से देरी हुई है जानबूझकर देरी नहीं की है। प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के हैं। वाद को मेरिट पर निस्तारण करवाना चाहते है। इस कारण कायम मुकाम वादी रेकर्ड पर लिया जावे। अनुपस्थितति का सद्भाविक व युक्तियुक्त कारण है। सद्भावी देरी से कायम मुकाम रेकर्ड पर पूर्व में पेश नहीं किये गये। इस कारण नरम रूख रखा जावे व वाद की कार्यवाही जारी रखी जावे उपशमित नहीं किया जावे। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि वादी के कायम मुकाम वारिसान रेकर्ड पर लेने का आदेश फरमावें व वाद की कार्यवाही जारी रखी जावे। नरम रूख रखा जावे। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।

2. प्रतिवादी ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया तथा प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक वादी ने प्रार्थना–पत्र को बहस समायत करने का निवेदन किया।

3. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र वादी के कायम मुकाम की ओर से श्री मोहम्मद शरीफ काजी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है तथा प्रार्थना–पत्र में अंकित किया है कि **"अधिवक्ता द्वारा दरख्वास्त देहिन्दा को सुचित किया तब वाद की कार्यवाही की जानकारी 10 दिन पूर्व हुई आज नथा के उक्त वारिसान बाहर होने से उपस्थित नहीं आ सके परन्तु दरख्वास्त कायम मुकाम वारीसों की ओर से पेश हैं**

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता को पैरवी की हिदायत भी दी है वारिसान की ओर से वकालतनामा व शपथ पत्र आयंदा पेशी पर पेश किया जायेगा।" वादी के वारिसान की ओर से न तो आज दिन तक वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है तथा न ही उसके वारिसान को न्यायालय में उपस्थित रखा गया है। वादी का देहान्त किस तारीख को हुआ है इसका न तो मृत्यु प्रमाण पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है तथा न अन्य कोई साक्ष्य मृत्यु के समर्थन में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना–पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थना–पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना अधिवक्ता ने स्वयं ने प्रार्थना–पत्र में स्वीकार किया है परन्तु विलम्ब को माफ करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर श्री मोहम्मद शरीफ काजी अधिवक्ता द्वारा वादी के वारिसान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है। वादी का वाद एबेट हो जाने से खारिज किया जाता है। डिक्री परचा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 30.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर,
बइजलास– श्री रोहिताश्त सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

मुकद्दमा संख्या– राजस्व वाद संख्या 53 सन् 2011 अंतर्गत धारा 53,88 आर.टी.एक्ट

वादीः–

1. नथाराम पुत्र झालाजी जाति बावरी उम्र– वर्ष निवासी नयागांव पाली तहसील पाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम प्रतिवादीगणः–

1. कुकाराम पुत्र जाला
2. भंवरलाल पुत्र काना
3. शंकरलाल पुत्र काना
4. कस्तूर पुत्र काना
5. श्रीमती मोती बेवा काना जातिगण बावरी निवासीगण नया गांव पाली (राजस्थान)
6. जशोदा पुत्री काना पत्नी कानाराम, जाति बावरी निवासी चौकीदारों का बास, मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
7. राधा पुत्री काना पत्नी नरसिंह जाति बावरी निवासी भाकरीवाला तहसील रोहट जिला पाली
8. नवीन डांगी पुत्र बुद्धाराम डांगी (मेघवाल) निवासी शिवाजी नगर, सिविल लाईन्स, जयपुर
9. सोनी पत्नी जोगाराम जाति सरगरा निवासी हनुमान गली, सुरजपोल, पाली
10. नरिंग पुत्र जाला
11. मंगलाराम पुत्र जीता
12. बाबूलाल पुत्र जीता
13. अणचाई पत्नी जीता, जाति बावरी निवासी नयागांव, पाली
14. तहसीलदार, पाली. (राजस्थान)

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक वादी बहाजरी मिनजानिब मुद्दई व बहाजरी श्री जूंझाराम परमार, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी 9 मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम डिकी इस आशय की जारी की जाती है कि श्री मोहम्मद शरीफ काजी अधिवक्ता द्वारा वादी के वारिसान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है। वादी का वाद एबेट हो जाने से खारिज किया जाता है।

नीज.....शून्य..... मुबलिग .....शून्य.... बाबत.....शून्य......खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....शून्य..... फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक ......शून्य..... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 01 सन् 2019 को जारी की गई।

दस्तखत......सहायक कलेक्टर
ओहदा......पाली (राज.)

मुहर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी * पाली *

कृ0पृ0उ0

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीनामा	–	–	स्टाम्प वकालतनामा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प हाजरी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर	–	–
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	–	–
मुतफरिक	–	–	–	–	–
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी * पाली *

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)